

24/9
22

पत्रावली जैसा दूरी वकील प्रार्थी उप।
बहरा प्रार्थी वकिलता चुनी गई।
पत्रावली का बरतोलन किया गया
वकील प्रार्थी की बहरा पर मतन
किया। संतान राजरुग् रिपोर्ट
जमावती अनुमा प्रार्थी एवं



तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

विपत्ती को सट्कारे गए हैं। राजस्व
कार्यकारी विनियम 1955 की
धारा 212 के प्रावधानों के अन्तर्गत
किसी भी सट्कारे गए को अस्थायी
निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया
जा सकता है। न्यूनिकारी पसंदाद
के अन्तर्गत निषेधाज्ञा बरबाद की
गयी है। ऐसी स्थिति में
किसी भी सट्कारे गए को अस्थायी
निषेधाज्ञा से पाबंद किया जा
नामौलिक नहीं होता है।
अतः ज. पत्र सारणी तबका पर
पेश किया जाने से शरीज किया
जाता है। पत्रवली से स. शुभ
देकर नम्बर से कर है।

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी